न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/592

1. रामेश्वर ।
2. गंगाधर
3. नरेन्द्र पिसरान स्व0 बंशीलाल जाति लोधा निवासीगण ग्राम निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. आनन्दीलाल
2. पप्पूलाल
3. दयाशंकर
4. सत्यनारायण पिसरान बिशनलाल जाति लोधा निवासी ग्राम निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. छोटूलाल आत्मज स्व0 मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडन्ट कम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम औंकारपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 31 रकबा 0.66 हैक्टर एवं ग्राम नीमादा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 25 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नमेर 56 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 2.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.54 हैक्टर,

खसरा नम्बर 502 रकबा 0.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 624/2030 रकबा 0.26 हैक्टर कुल 08 किता की 5.45 हैक्टर आराजी एवं ग्राम नीमोदा में खसरा नम्बर 503 रकबा 1.72 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 खातेदार हैं । उक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने के विधिक अधिकारी हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/3 अलग खाता कायम किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त आराजी पर कब्जा भी दिलाया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. *अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते* हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2017 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से सन् 1976 में बंटवारा हो गया था । तत्पश्चात् स्वर्गीय मोतीलाल ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी के विभाजन के सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 30.12.1991 को आलेखित की । अपीलान्ट बंटवारे व वसीयत अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अपील को अंतिम डिक्री के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव अंतिम डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.11.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के सयुंक्त खाते की भूमि है जिसके बाबत् वादी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया था जिसमें बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अंतिम डिक्री पारित कर दी गई । विभाजन प्रस्ताव कार्यालय में बैठकर तैयार कर अंतिम डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । पक्षकारान के पिता व दादा स्व0 मोती लाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों बिशनलाल, बंशीलाल व छोटूलाल के मध्य आपसी सहमति के आधार पर सन् 1976 में बंटवारा कर दिया था । तत्पश्चात् स्व0 मोती लाल ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 30.12.1991 को आलेखित की थी । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील को अंतिम डिक्री के खिलाफ माने जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए इस अपील को अंतिम डिक्री के परिप्रेक्ष्य में ही निस्तारित किया जा रहा है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.06.2017 को लोक अदालत में अंतिम डिक्री पारित की है दिनांक 27.06.2017 को लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन तहसील से विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है । पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पत्रावली में संलग्न बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया । बंटवारा रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई है और तहसीलदार को प्रेषित की गई है, जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । यद्यपि तहसीलदार के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किये गये हैं । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान ने हस्ताक्षर करने से मना किया । इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किये गये हों ऐसा रिपोर्ट देखने से प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ

न्यायालय ने पक्षकारों को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है जो आवश्यक है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है जो कि आवश्यक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, दीगोद से राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.4.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा